

पत्र सं०-08/ज०सं०(नि०) ग्रा०- 03/2008 :-

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

श्री नरेश ठाकुर, तदेन कनीय अभियंता ग्रामीण विकास विशेष अंचल, पलामू के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 2567 दिनांक- 04.10.2008 द्वारा सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-1930 के नियम-55 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. दिनांक- 31.01.2017 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण श्री ठाकुर के विरुद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही को झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43बी० में सम्परिवर्तित किया जाता है।

3. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 2958 राँची / दिनांक 06-02-12

प्रतिलिपि :- संयुक्त सचिव, (प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष अंचल, पलामू/श्री नरेश ठाकुर, कनीय अभियंता, सीता सदन मानस पथ, पश्चिमी पटेल नगर, पटना-800023 (बिहार)/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Handwritten signature)
06/02/2012

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव